(iv) रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस)

2 अक्तूबर, 1993 को पूरे देश के 1752 पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि मौसम में 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि कर्मकार लाभांवित होते हैं। अब इस योजना को 2443 ब्लाकों में लागू कर दिया गया है।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों वाली महिलाओं के कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय सृजन संबंधी कार्यकलापों को शुरू किये जाने के लिये सामूहिक दृष्टिकोण का उपयोग करके उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये 1982-83 में चलाई गयी थी। यह योजना स्व रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहयोग से संचालित की जाती है।

(vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एन एस ए एस)

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना नामक एक नई योजना चलाई है। इस योजना के तीनों घटक हैं, अर्थात वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के मुख्य उपार्जक की मृत्यु की दशा में उत्तरजीवी लाभ और निर्धन महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिये प्रसूति लाभ, जिससे कृषि कर्मकारों को भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा।

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये व्यक्तियों और सृजित किये गये रोजगार की दृष्टि से उपर्युक्त योजनाओं का वास्तविक निष्पादन, राज्य वार अनुलग्नक में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट 181, अनुषंग संख्या 70]।

3. केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों ने अनेक बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनायें चलाई हैं जैसे जी.जी.नि. की सामाजिक सुरक्षा निधि के अधीन 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये समूह बीमा योजना, जो कि 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बीमा परिधि के भीतर लाने के लिये है और 1980 में ए.ग्रा.वि.का. के लाभानुभोगियों के लिये बीमा योजना। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अलग-अलग अर्हता मानकों और पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनायें चला रही है। सरकार ने मूलभूत सुविधाओं में सुधार करके, गैर-कृषीय कार्यकलापों का विविधीकरण करके, विभिन्न कौशल सुधार के सतत कार्यों, गरीबी उन्मूलन, विकास और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में और सुधार करने के लिये एक बहुआयामी कार्यवाई भी शुरू की है।

4. उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, कृषि कर्मकारों के हितों की रक्षा विभिन्न कानूनों के माध्यम से भी की जाती है। ऐसे कुछ कानून हैं—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976।

Setting up of a Regional Vocational Training Institute at Baroda

2567. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) wether it is a fact that Govt. has given approval for setting up of a Regional Vocational Training Institute at Baroda.

(b) if so, the details of its terms and conditions;

(c) whether the land and the infrastructure has been created by the State Govt. as per the terms and conditions;

(d) if so, the reasons for rethinking of the part of Govt. to shift the same outside the state;

(e) if not, the time by which the institute will start functioning at the present site?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) The terms and conditions agreed to by the State Government included providing about 5 acres of land free of cost for construction of a building by Government of India on it and also adequate temporary accommodation for immediate setting up the RVTI at Vadodara.

(c) and (d) In April, 1993 State Government of Gujarat did make available a plot of land which had an existing old superstructure and also a new building already under construction on it. While the land was offered free, the State Government wanted the cost of building structures to be reimbursed to them. As the building structures so offered did not meet the specifications laid down by the World Bank who were financing the construction, this could not be agreed to and the State Government were advised to make available a suitable alternative vacant plot of land for construction of a building of required standards for the RVTI by Government of India. The State Government is yet to make available the required alternative suitable plot of land.

The RVTI, Vadodara, continues to function with limited training activities at the temporary premises provided by the State Government at Vadodara.

(e) Does not arise.

गैर सरकारी संगठनों द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान न किया जाना

2568. श्री नागमणि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किये जाने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और गैर-सरकारी संगठनों की आय में असमानता बढ़ेगी ; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को निर्धारित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार) : (क) सरकार को गैर सरकारी संगठनों से अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न किये जाने के संबंध में अनौपचारिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का निर्धारण संबंधित सरकार द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के कर्मकारों को देय वेतन और मजदूरी को आपसी करार और संबंधित नियोक्ता और कर्मकारों द्वारा नियत किया जाता है । ऐसी मजदूरी की दरें अनेक कारकों पर निर्भर होती है । जैसे किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, सामूहिक सौदेकारिता की प्रभावोत्पादकता, श्रम बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति, आदि । इस क्षेत्र में सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना होता कि समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की अदायगी की जाये ।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947